मुकदमा राजस्थान सरकार

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डिक्स फार्म नं. 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

[illegible]

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी तिथि
1	2	3		
(17)	8/2021	15.3.21	9/4/25	3.5.24
			5/5/25	15/7/24
			7/5/25	20/8/24
				2/9/24
				12/9/24
				7/10/24
				30/10/24
				19/11/24
				28/11/24
				26/12/24
				21/01/25
				28/1/25

2021/89

निर्णय

बनाम

6/2/25

12/2/25

श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार V/S श्री भीमा पिता मोहन ...

24/2/25

निवासी बिजौलियां निवासी ...

3/3/25

10/3/25

18/3/25

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

25/3/25

डिक्रीदार मदयून

श्री पॅरोकार सरकार श्री रामफूल धाकड़ (प्रतिवादी 2,3,4,...)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, जिला–भीलवाड़ा

TDR बनाम गीता

किस्म मुकदमा धारा 177RTA प्रकरण संख्या 8/21

GCMS नम्बर– 2021/89

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित/वकील प्रतिवादी बहस हेतु आगामी पेशी चाहते है। अतः पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 12-2-25 को पेश हो। [signature]	
12/2/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस 24/02/25 को पेश हो [signature]	
24/2/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय 03/03/25 को पेश हो। [signature]	
3-3-25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 10/3/25 को पेश हो [signature]	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO ता दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 18/3/25 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

[illegible]

18/3/25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/ बहस आगामी दिनांक 25/3/25 को पेश हो।
उ

21/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] पत्रावली [illegible] पेश हो।
दिनांक 3/5/25 निर्णय/बहस
उप खण्ड अधिकारी

03/4/25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय बहस आगामी दिनांक 5/5/25 को पेश हो।
उ

5/5/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर है। पत्रावली [illegible] पेश हो।
दिनांक 7/5/25 निर्णय/बहस
उप खण्ड अधिकारी

7/5/25 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक प्रतिवादी एवं फरीकैन हस्बजार उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गयी पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उ
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 08/2021 **दायर तारीख 15.03.2021**

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....वादी

बनाम्

01. गीता पुत्री शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
02. प्रकाश पिता शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
03. भंवरलाल पिता शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
04. राधेश्याम पिता रामलाल हिस्सा 1/3 भाट निवासी गुढा
05. लादी पत्नि स्व. प्रभुलाल हिस्सा 1/6 भाट निवासी गुढा
06. शंकर पिता प्रभुलाल हिस्सा 1/6 भाट निवासी गुढा
07. सुन्दर पत्नि स्व. शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
08. भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या

.............प्रतिवादिगण

–:उपस्थित :–

1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी
2. श्री रामफूल धाकड़ .....अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07/08/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.निरिक्षक कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 145 में अंकित खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षी 30 गुणा 20 गुणा 1.5 मीटर बराबर 900 घनमीटर पत्थर कटाई एवं 132 गुणा 40 गुणा 06 फिट यानि 31680 घनफिट झड़ाई व सेण्ड अवैध खनन किया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि कृषि
कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादी वादी द्वारा अकृषी कार्य किया गया । प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें। तहसीलदार बिजौलियां ने वाद पत्र के साथ भू.अभि.नि. कांस्या का मौका पर्चा , उक्त आराजी की जमाबंदी नकल आधार संवत् 2076 –2079 ,नक्शा ट्रैस, कार्यालय खनि अभियन्ता , खान एंव भू–विज्ञान , विभाग बिजोलियां द्वारा बनाया गया पंचानामा पेश किए जो संलग्न पत्रावली है।

वादपत्र दिनांक 15.03.2021 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जिनको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 01,05,07 बाद सूचना अनुपस्थित रहे विपक्षी 01,05,07 को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ । विपक्षी 1,05,07 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। विपक्षी 2,3,4,6 की और से अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 08 / 2021 दायर तारीख 15.03.2021

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। ....डिकीदार।

बनाम्

01. गीता पुत्री शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढ़ा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
02. प्रकाश पिता शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढ़ा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
03. भंवरलाल पिता शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढ़ा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
04. राधेश्याम पिता रामलाल हिस्सा 1/3 भाट निवासी गुढ़ा
05. लादी पत्नि स्व. प्रभुलाल हिस्सा 1/6 भाट निवासी गुढ़ा
06. शंकर पिता प्रभुलाल हिस्सा 1/6 भाट निवासी गुढ़ा
07. सुन्दर पत्नि स्व. शोभालाल हिस्सा 1/12 भाट निवासी गुढ़ा रहन हिस्सा 1/12 भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या
08. भी.अ.क्षे. ग्राम बैंक शाखा कांस्या

.............मदसून।

–:उपस्थित :–

1. पैरोकार तहसीलदार। .....अधिवक्ता डिकीदार।
2. श्री रामफूल धाकड़ ......अधिवक्ता मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

डिकी दिनांक 07 /05/ 2025

–:डिक्री:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता रामफूल धाकड़ के समक्ष उपस्थित में डिक्री दी जाती है कि :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा भू.अभि.निरिक्षक कांस्या तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 145 में अंकित खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि पर अकृषी कार्य होना पाया गया। खातेदार द्वारा विवादित खसरे पर अकृषी कार्य किया गया। **अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है** । उक्त खसरा नम्बर 29 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय भूमि को विलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते है। डिकी मूर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तसहीलदार बिजौलियां अतिशिघ्र पालना कर न्यायालय को पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर